कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

महाराव भीमसिंह मार्ग, कबीर सर्किल के पास, कोटा

विद्या–परिषद् की 23वीं बैठक के कार्यवृत्त (Minutes)

दिनांक 08.04.2024

विद्या–परिषद् की 23वीं बैठक दिनांक 08.04.2024 को अपराह्न 12:15 बजे माननीय कुलपति महोदया की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नांकित सदस्य उपस्थित रहें :–

अध्यक्ष

प्रो० नीलिमा सिंह
माननीया कुलपति
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

सदस्य

2. **डॉ० सुरेश कुमार अग्रवाल,**
कुलाधिपति द्वारा नामित सदस्य

सदस्य

3. **डॉ. गीता राम शर्मा,**
सहायक निदेशक (नामित सदस्य)
आयुक्त, निदेशालय,
कॉलेज शिक्षा

सदस्य

4. **प्रो० फूल सिंह गुर्जर**
अधिष्ठाता, सामाजिक विज्ञान संकाय
प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, झालावाड़

सदस्य

5. **प्रो० आर.के. उपाध्याय**
अधिष्ठाता, विधि संकाय
प्राचार्य, राजकीय विधि महाविद्यालय, कोटा

सदस्य

6. **डॉ० वन्दना आहूजा**
अधिष्ठाता, वाणिज्य संकाय
प्राचार्य, राजकीय वाणिज्य कन्या महाविद्यालय, कोटा

सदस्य

7. **प्रो० रोशन भारती**
अधिष्ठाता, कला संकाय
प्राचार्य, राजकीय कला महाविद्यालय, कोटा

सदस्य

8\. डॉ0 के.के शर्मा
अधिष्ठाता, शिक्षा संकाय
प्राचार्य, भगवती टी.टी. कॉलेज, गंगापुरसिटी

सदस्य

9\. डॉ0 ओ.पी. ऋषि
कुलपति द्वारा नाम निर्देशित सदस्य

सदस्य

10\. डॉ0 नीलू चौहान
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, रसायन शास्त्र

सदस्य

11\. डॉ. आर.एस. मेघवाल
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, भौतिकी

सदस्य

12\. डॉ. अर्चना साहरे
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, समाज शास्त्र

सदस्य

13\. डॉ0 सूर्य प्रकाश नापित
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, हिन्दी

सदस्य

14\. डॉ. शाक्ति भारती
पाठ्यक्रम समिति, आरेखन एवं रंगांकन

सदस्य

15\. डॉ. प्रतिमा श्रीवास्तव
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, वनस्पति शास्त्र

सदस्य

16\. डॉ. इरफान अहमद
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, दर्शन शास्त्र

सदस्य

17\. श्रीमती मीरा गुप्ता
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, अर्थशास्त्र

सदस्य

18\. डॉ0 फातिमा सुल्ताना,
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, प्राणी शास्त्र

सदस्य

19\. डॉ0 अतिता माहेश्वरी
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, व्यावसायिक प्रशासन

सदस्य

20. डॉ0 मीनू माहेश्वरी
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, ए.बी.एस.टी.

सदस्य

21. डॉ0 सुषमा सिंह
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, शिक्षा

सदस्य

22. डॉ0 एम.एस मीणा
संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, विधि

सदस्य सचिव

23. प्रो0 रीना दाधीच
कार्यवाहक कुलसचिव,
अधिष्ठाता, विज्ञान एवं जीव विज्ञान संकाय
कुलपति द्वारा नाम निर्देशित आचार्य

सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर; डॉ. दीपा चतुर्वेदी, संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, अंग्रेजी; डॉ. मोहम्मद नईम, संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, उर्दू; डॉ0 सी.पी. ददलानी, संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, सिंधी; डॉ. उमकेश मीणा, संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, संस्कृत; डॉ0 रेणू शर्मा, संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, भूगोल; डॉ. सज्जन पोसवाल, संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, इतिहास; डॉ0 दीपा स्वामी, संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, गृह–विज्ञान; डॉ0 अनिल कुमार पारीक, संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, लोक प्रशासन; डॉ0 अरूण कुमार, संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, गणित एवं डॉ0 दीपक कुमार, संयोजक, पाठ्यक्रम समिति, ई.ए.एफ.एम. बैठक में उपस्थित नहीं हो सके।

बैठक के प्रारम्भ में सदस्य सचिव द्वारा माननीय कुलपति महोदय एवं उपस्थित माननीय सदस्यों का अभिनन्दन किया गया।

इसके पश्चात् विद्या–परिषद् की बैठक में विचारणीय बिन्दुओं पर विस्तृत बिन्दुवार चर्चा विधिवत रूप से प्रारम्भ हुई :–

मद संख्या–1	:	**विद्या–परिषद् की 20वीं, 21वीं व 22वीं बैठक दिनांक 23.12.2022, 07.09.2023** (by circulation) **व 09.10.2023 क्रमशः के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	विद्या–परिषद् की 20वी बैठक दिनांक 23.12.2022 के कार्यवृत को निम्न संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया :– मद सं. 3 के बिन्दु सं. 2 में उल्लेखित निर्णय की 9वीं, 10वीं व 11वीं लाईन को निम्नानुसार पढ़े जाने की अनुशंषा की गई :– ".......माननीय कुलपति को अनुमोदन हेतु अग्रेषित करने का निर्णय लिया गया।" मद सं. 6 में बाह्य उड़नदस्ता समिति में बाह्य पर्यवेक्षक आचार्य/सह–आचार्य के स्तर का लगाये जाने की अनुशंषा की गई।

	मद सं. 8 में उल्लेखित Skill Development Cell के स्थान पर Skills Development Center तथा शिक्षादान महा अनुदान के स्थान पर शिक्षादान महादान पढ़े जाने की अनुशंषा की गई। मद सं. 10 में उल्लेखित डिप्लोमा कोर्स व सर्टिफिकेट कोर्स को डिप्लोमा प्रोग्राम व सर्टिफिकेट प्रोग्राम पढ़े जाने की अनुशंषा की गई। मद सं. 12 में 4 वर्षीय बहु अनुशासनीय डिग्री (4 year Multidisplinary Degree) के स्थान पर 4 Year Undergraduate programme पढ़े जाने की अनुशंषा की गई। मद सं. 14 में उल्लेखित निर्णय के अंतिम लाईन को "..... ..... किये गये आदेशों को अंगीकार किया गया" पढ़ा जाने की अनुशंषा की गई। मद सं. 16(2) में विश्वविद्यालय में संचालित वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग को दो भिन्न भिन्न विभाग–वाणिज्य विभाग व प्रबंधन विभाग में पृथक करने के प्रस्तावों को सर्वसम्मति से खारिज किया गया। विद्या परिषद की 21वीं बैठक दिनांक 07.09.2023 (by circulation) के कार्यवृत का अनुमोदन किया गया। विद्या परिषद की 22वीं बैठक दिनांक 09.10.2023 के कार्यवृत को निम्न संशोधनों के साथ अनुमोदित किया गया :– मद सं. 3 में विश्वविद्यालय शिक्षकों को सीएएस के तहत पदोन्नति प्रदान करने तथा रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने हेतु चयन समिति की बैठक में बुलवाये जाने वाले विषय–विशेषज्ञो का पैनल आरपीएससी को शोर्ट लिस्ट करवाने हेतु भिजवाने संबंधी प्रस्तावों के अनुमोदन के पश्चात् की गई कार्यवाही से सदन को अवगत कराया गया :– विषय–विशेषज्ञों के पैनल का अनुमोदन विद्या परिषद से होने के तुरंत पश्चात विधानसभा चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो जाने, विधानसभा चुनाव पश्चात राज्य सरकार ने पूर्व/तत्समय नियुक्त चयन समिति सदस्यों के मनोनयन को निरस्त कर दिये जाने तथा आदिनांक 18.03.2024 तक चयन समिति में राज्य सरकार से प्रतिनिधियों के मनोनयन प्राप्त नहीं होने के कारण, राज्य विश्वविद्यालय शिक्षक/अधिकारी निगुक्ति हेतु चयन अधिनियम 1974 में किये गये प्रावधानों की पूर्ति के अभाव में पेनल राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर से अनुमोदित/शॉर्ट लिस्ट नहीं करवाया जा सकता है। जैसे ही चयन समिति में राज्य सरकार से प्रतिनिधियों के मनोनयन प्राप्त हो जाऐंगे, विश्वविद्यालय द्वारा चयन संबंधी अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। मद सं. 4(3) में प्रस्तावित पाठयक्रम को विश्वविद्यालय परिसर में प्रारंभ करने के संबंध में विश्वविद्यालय स्तर पर एक समिति गठित

		कर उक्त पाठयक्रम की मांग व उपयोगिता आदि अनेको बिन्दुओं पर विचार कर प्राप्त अनुशंषाओं को विद्या–परिषद् की आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। उक्त समिति के गठन हेतु माननीय कुलपति महोदया को अधिकृत किया गया।
मद संख्या–2	:	**विद्या–परिषद् की बैठक दिनांक 23.12.2022, 07.09.2023 (by circulation) व 09.10.2023 में लिये गये निर्णयों के संबंध में की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन अनुमोदित करना।**
निर्णय	:	विद्या–परिषद् की बैठक दिनांक 23.12.2022, 07.09.2023 (by circulation) व 09.10.2023 में लिये गये निर्णयों के संबंध में की गई कार्यवाही का अनुमोदन किया गया।
मद संख्या–3	:	**माननीय कुलपति महोदय के निम्नं आदेशों को रिपोर्ट करना।** 1. वर्ष 2023–24 में लिये गये विभिन्न BOS / COC के पुनर्गठन संबंधी आदेश। 2. विभिन्न पाठ्यक्रमों / विषयों की पाठ्यक्रम समितियों द्वारा सत्र 2023–24 के लिए पाठ्यक्रम निर्माण हेतु आयोजित बैठकों के कार्यवृत्तों का माननीय कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदन संबंधी आदेश (विद्या–परिषद की 22वीं बैठक दिनांक 09.10.2023 के पश्चात् के कार्यवृत्त)। 3. परीक्षा वर्ष 2021 की उपाधियों पर 'ग्रेस पास' की तिथि के अंकन के निर्धारण हेतु गठित समिति संबंधी आदेश व उक्त बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन।
निर्णय	:	1. वर्ष 2023–24 में लिये गये विभिन्न BOS / COC के पुनर्गठन संबंधी माननीय कुलपति महोदय के आदेशों की पुष्टि की गई। 2. विभिन्न पाठ्यक्रमों / विषयों की पाठ्यक्रम समितियों द्वारा सत्र 2023–24 के लिए पाठ्यक्रम निर्माण हेतु आयोजित बैठकों के कार्यवृत्तों पर विस्तृत चर्चा की गई। डॉ. ओ.पी. ऋषि, माननीय सदस्य द्वारा पाठयक्रम निर्माण समिति में कुछ वर्षों से वरिष्ठ आंतरिक सदस्य को समिति का संयोजक बनाये जाने पर, पूर्व की भांति चयन प्रक्रिया अपनाने को कहा गया। संयोजक के रूप में सभी को अवसर मिले, इस संदर्भ में अपनी बात रखी गई। इस पर सदन द्वारा माननीय कुलपति महोदया को उक्त प्रकरण पर विस्तृत अध्ययन कर अग्रिम कार्यवाही किये जाने हेतु अधिकृत किया गया। डॉ. ऋषि द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि कम्प्यूटर विज्ञान की पाठयक्रम समिति की बैठक दिनांक 28.08.2023 को आयोजित हुई थी, जिसमें उनके द्वारा जिन कार्यवृत पर हस्ताक्षर किये गये थे उन कार्यवृत को बदल कर बैठक के चर्चा के विपरित अनुशंषा कर हस्ताक्षर हेतु उनको भेजे गये। जिस पर उनके द्वारा हस्ताक्षर हेतु अपनी सहमति व्यक्त नहीं की गई। डॉ. ऋषि द्वारा हस्ताक्षरित कार्यवृत को फाड़ने का आरोप संयोजक, पाठयक्रम समिति पर लगाया गया। उक्त

		प्रकरण पर एक Fact Finding Committee का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया, जिसके लिए माननीय कुलपति महोदया को अधिकृत किया गया। 3. परीक्षा वर्ष 2021 की उपाधियों पर 'ग्रेस पास' की तिथि के अंकन के निर्धारण हेतु गठित समिति संबंधी आदेश व उक्त बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया।
मद संख्या–4	:	**परीक्षा वर्ष 2021 की समस्त उपाधियों (कुल उपाधियां–88692) का 'ग्रेस पास' किये जाने संबंधी प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।**
निर्णय	:	परीक्षा वर्ष 2021 की समस्त उपाधियों (कुल उपाधियां–88692) के 'ग्रेस पास' किये जाने संबंधी प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या–5	:	**शोध–मण्डल की बैठक दिनांक 10.04.2023, 20.09.2023** (by circulation) **व 03.11.2023 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन करना।**
निर्णय	:	शोध–मण्डल की बैठक दिनांक 10.04.2023, 20.09.2023 (by circulation) व 03.11.2023 के कार्यवाही को अनुमोदित किया गया, परन्तु सदन द्वारा शोध मण्डल के कार्यवृत पर आगे से निदेशक/सदस्य सचिव जो भी नियमों में है, के हस्ताक्षर किये जाने की अनुशंषा की गई।
मद संख्या–6	:	**विद्यार्थियों की फीस लौटाये जाने के क्रम में केन्द्रीय प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 12.12.2023 के अनुशंषानुसार यू.जी.सी. के पत्र क्रमांक** D.D. No. 2-71/2022(cpp-II), **दिनांक 03.07.2023 के अनुमोदन संबंधी अधिष्ठाता, स्नातकोत्तर अध्ययन से प्राप्त प्रस्ताव सदन के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।**
निर्णय	:	विद्यार्थियों की फीस लौटाये जाने के क्रम में कन्द्रीय प्रवेश समिति की बैठक दिनांक 12.12.2023 के अनुशंषानुसार यू.जी.सी. के पत्र क्रमांक D.D. No. 2-71/2022(cpp-II), दिनांक 03.07.2023 के अनुसार अधिष्ठाता, स्नातकोत्तर अध्ययन से प्राप्त प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।
मद संख्या–7	:	**विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में नवीन पाठ्यक्रमों–**(BTTM-MTTM, MTTM **व सर्टिफिकेट** courses) **प्रारंभ किए जाने सबंधी प्रस्तावों में निर्णय लेना।**
निर्णय	:	विश्वविद्यालय परिसर में किसी भी प्रकार के नये पाठ्यक्रम प्रारंभ करने के पूर्व विश्वविद्यालय स्तर पर एक समिति गठित कर जिसमें प्रस्तावक विभाग के विभागाध्यक्ष को सदस्य नियुक्त करते हुये उक्त पाठ्यक्रम की मांग व उपयोगिता आदि अनेको बिन्दुओं पर विचार कर प्राप्त अनुशंषाओं को विद्या–परिषद् की आगामी बैठक में रखे जाने का निर्णय लिया गया। उक्त समिति के गठन करने हेतु माननीय कुलपति महोदया को अधिकृत किया गया।

मद संख्या–8	:	विश्वविद्यालय परिसर में Certificate course in Entrepreneurship and Skill Development पाठयक्रमों को संचालित किए जाने के प्रस्ताव विद्या–परिषद के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत है।
निर्णय	:	उक्त मद में भी मद सं. 7 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने की अनुशंषा की गई।
मद संख्या–9	:	विश्वविद्यालय के वाणिज्य एवं प्रबंधन विभाग के द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में निम्न नवीन पाठयक्रमों को सत्र 2024–25 से प्रारंभ किये जाने संबंधी प्रस्तावों में निर्णय लेना। 1. Post Graduate Certificate course in GST (योग्यता–स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थी, विद्यार्थी किसी भी संकाय से हो) 2. Certificate Course in GST 3. Certificate Course in Income Tax 4. Certificate Course in Computerised Accounting (क्रम सं. 2 से 4 तक के कोर्स हेतु योग्यता–सीनियर सैकण्डरी पास किसी भी संकाय का विद्यार्थी) उक्त प्रस्तावित पाठयक्रमों के पाठयक्रम BOS-ABST में प्रस्तुत कर दिए गए हैं।
निर्णय	:	उक्त मद में भी मद सं. 7 में लिये गये निर्णय के अनुसार कार्यवाही किये जाने की अनुशंषा की गई।
मद संख्या–10	:	अन्य बिन्दु आसन की अनुमति से। 1. सहायक निदेशक, कॉलेज शिक्षा, कोटा द्वारा विश्वविद्यालय परिसर में सत्र 2024–25 से स्नातकोत्तर स्तर पर संस्कृत विषय प्रारंभ किये जाने के प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया। 2. माननीय कुलपति महोदया द्वारा सभी संकाय अधिष्ठाताओं व पाठयक्रम निर्माण समिति के संयोजकों से सत्र 2024–25 के लिए पाठयक्रम निर्माण/संशोधन करने हेतु अपने अपने संबंधित BOS/COC के सदस्यों से तिथि निश्चित कर शीघ्र बैठक आयोजित करने हेतु विश्वविद्यालय को सूचित करने के लिए निवेदन किया। सभी सदस्यों द्वारा सहमति प्रदान की गई।

बैठक के दौरान अनावश्यक काफी व्यवधान हुआ, जिससे सदन का वातावरण खराब हुआ। अतः माननीय कुलपति महोदया ने सभी सदस्यों से निवेदन किया कि बैठक की गरिमा को बनाए रखने के लिए सौहार्दपूर्ण व्यवहार अपनाया जाए।

बैठक आसन को धन्यवाद के साथ पूर्ण हुई।

कुलसचिव
व सदस्य सचिव, विद्या–परिषद
कोटा विश्वविद्यालय, कोटा

25-04-2024 14:11

D:/AC Minutes/Kapil/1